रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 1972/आषाढ़ 9, 1894
No. 152] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 1972/ASADHA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th June 1972

SUBJECT:—*Import of "Dates" (S. No. 21(b)/IV) from Iraq during September, 1971—August, 1972 licensing period on annual basis—Extension in the validity period.*

No. 94-ITC(PN)/72.—Attention of importers is invited to paragraph 8 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 144-ITC(PN)/71, dated 25th October, 1971, according to which licences issued for import of "Dates" from Iraq for the period September, 1971—August, 1972 are valid upto 30th June, 1972.

2. On a review of the position it has been decided that the validity period of un-utilized/partially utilized licences issued for import of "Dates" from Iraq in terms of the aforesaid Public Notice may be deemed to have been extended upto the 30th September, 1972. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The Customs authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

M. M. SEN.
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 30 जून 1972

विषय.—लाइसेंस अवधि सितम्बर, 1971 अगस्त, 1972 के दौरान वार्षिक आधार पर ईराक से "खजूरों" (क्रम सं० 21 बी/4) का आयात वैधता अवधि में वृद्धि।

संख्या 94—आई० टी० सी० (पी एन)/72.—आयातकों का ध्यान विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 144—आई०टी०सी० (पी एन)/71, दिनांक 25 अक्तूबर, 1971 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार सितम्बर, 1971—अगस्त, 1972 अवधि के लिए इराक से "खजूरों" के आयात के लिए जारी किए गये लाइसेंस 30 जून 1972 तक वैध हैं।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार ईराक से "खजूरों" के आयात के लिए जारी किए गए बिना उपयोग किए गए/आंशिक उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता अवधि 30 **सितम्बर 1972 तक** बढ़ाई गई समझी जाए। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंसों पर पृष्ठांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आयात अन्य सब प्रकार से उचित है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी इस सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर निकासी की अनुमति देंगे।

एम० एम० सैन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972